

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एक/ 23/लेखा/ आकाशि/ अनुदान/ 2004-05/ 69

दिनांक 6 जुलाई, 2004

शुद्ध सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय- सत्र 2004-05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत

श्रीमान

सर्वोच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक एक/23/लेखा / आकाशि/ अनुदान/ 2004-05/ 1 दिनांक 15.6.04 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई विवेक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र के आधार पर शापटीय महिला महाविद्यालय, जयपुर को निम्नलिखित संकाय एवं प्रारम्भ में वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर 2004-05 के लिए संस्था के नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

| क्र.सं. | संस्था/ट्रस्ट/ संस्था का नाम | प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम | संकाय/विषय |
|---------|---|--|---|
| 1. | कला उद्योग कृते शिक्षण एवं शोध संस्थान, जयपुर | शापटीय महिला महाविद्यालय, कनियारास, गौनेर रोड, जयपुर | स्नातक स्तर कला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, वोकेशनल कम्प्यूटर साइंस, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, एवं संगीत। |

1. राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्माण करवा लेंगे / व्यवस्था करवा लेंगे एवं तदनुसार कालेज शिक्षा विभाग को सूचित कर इसका निरीक्षण करवा लेंगे।
2. यदि संस्था निर्धारित समयअवधि में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं संस्था को इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी रूप में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा।
3. संस्था/महाविद्यालय को यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करना होगा।
4. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाह्न की कक्षाएं चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होगा आवश्यक है।
5. शिक्षण व अन्य सुक्त बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
6. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
11. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।
12. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध अक्षरभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
13. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
14. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जायेगा।
15. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
16. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

भवदीय,

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

1. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
2. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
3. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
4. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
5. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
6. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
7. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
8. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
9. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
10. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
11. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -
12. संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत समानता का अर्थ है -


 संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
 आर्थिक विभाग, राजस्थान
 जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2248

दिनांक 7 जुलाई 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| क्र. सं. | पत्रा. सं. | महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का पता | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | विषय/संकाय |
|----------|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 11 | बानसूर महाविद्यालय | बानसूर, अलवर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 2 | 34 | यूनिवर्सल पी.जी.कालेज | 4 माइल स्मॉन, हिण्डौन रोड, महुवा | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 3 | 39 | महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय | भहवा, दौसा | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 4 | 49 | विनायक कॉलेज चौमू | चौमू, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 5 | 54 | सेंट जेवियर्स कॉलेज | फागी, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 6 | 97 | ओम कोठारी प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान | ए-1 स्पेशल, आई.पी.आई. ए., झालावाड़ रोड, कोटा | कोटा विश्वविद्यालय कोटा | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 7 | 154 | जानकी देवी महाविद्यालय | धानागाजी, अलवर | राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 8 | 202 | लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज | कमला नेहरू नगर, जोधपुर | जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 9 | 219 | अरावली महाविद्यालय | एसपी-1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमकाथाना, सीकर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 10 | 244 | श्री शिरडी साई बाबा कॉलेज | किशनगढ़, तह.सांभरले, जि.जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 11 | 248 | संस्कार भारती महाविद्यालय | वगरू, तह.सांगानेर, झिला जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |
| 12 | 258 | महावीर विधि महाविद्यालय | किरण पथ सेक्टर 4, मानसरोवर, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | विधि |
| 13 | 264 | ज्ञानदीप महाविद्यालय | संत आसाराम आश्रम के पास, लूनियावास, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय |

- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी निगम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहर्षित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विभिन्न महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।

(पवन कुमार गोयल)

आयुक्त

दिनांक 7 अक्टूबर 2007

कमरा: एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2248

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित है --

- (i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- (ii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- (iii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (iv) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- (v) जिला कलेक्टर, अलवर/दौसा/जयपुर/जोधपुर/कोटा/सीकर।
- (vi) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (vii) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(गुप-4) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- (viii) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- (ix) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय।
- (x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- (xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली।
- (xii) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।